



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1947 (श10)
(सं० पटना 04) पटना, सोमवार, 5 जनवरी 2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना
11 दिसम्बर 2025

सं० प्र०4-ब०1-01/2008-खण्ड-3607—चूँकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम-7) की धारा-9 के अधीन "सलाहकार बोर्ड" का पुनर्गठन आवश्यक है; अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 की धारा-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार द्वारा माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, पटना को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश, श्री गोपाल प्रसाद (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायाधीश, श्री प्रभात कुमार झा (सेवानिवृत्त), को सदस्य के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त करते हुए तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

11 दिसम्बर 2025

सं० प्र०4-ब०1-01/2008-खण्ड-3607 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 11th December 2025

No. प्र04-ब01-01/2008-खण्ड-3607—Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section-9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (Act 7 of 1980);

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section -9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Mr. Justice Shri Sudhir Singh (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Justice Mr. Gopal Prasad (Retired) and Hon'ble Justice Sri Prabhat Kumar Jha (Retired) as Members on the basis of nomination of Hon'ble Acting Chief Justice, Patna High Court, Patna with immediate effect, and accordingly the said Board is hereby reconstituted.

**By order of the Governor of Bihar,
ABHAY KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 04-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>